FORM NO –III
फर्द–अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड 19–ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड जयपुर 302001 राजस्थान द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मुकेश खिलेरी पुत्र झानाराम खिलेरी पोर्ट फोलियो कलेक्शन मैनेजर (अधिकृत अधिकारी) एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड 19–ए झुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर शाखा नागौर 341001		1. खेमाराम ईनाणिया पुत्र शोभाराम,जाति–जाट निवासी–खजवाना,तहसील–मूण्डवां दुसरा पता ब्राहमणों का बास खजवाना। 2. जगदीश पुत्र रामरतन निवासी–विष्णुनगर राजोद,तहसील–डेगाना।

किस्म मुकदमा –सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 **संख्या–** 49 **सन्** 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
12.03.2025	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक संम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण/ऋणी को रूपये 18,00000/–ऋण सुविधा दिनांक 31.01.2021 को उपलब्ध करवायी जाकर अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज् में पट्टा ग्राम पंचायत खजवाना द्वारा जारी पट्टा दिनांक 24.12.2010 को सम्पति एवं कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 495 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा में से 02 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी कम्पनी के हक में बंधक किया जाना प्रकट किया हैं तथा इस बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इन नियमों के तहत पुलिस इमदाद चाही हैं। प्रार्थी कम्पनी इस आवासीय भूमि के साथ कृषि भूमि का कब्जा प्रापत करना चाहती जो इन नियमों के तहत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रार्थी कम्पनी द्वारा पेश किया गया यह आवेदन–पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के तहत स्वीकार योग्य नहीं हैं। प्रार्थी कम्पनी को इस सम्बन्ध में राजस्थान कृषि साख प्रचलन(कठिनाइयों का निवारण) अधिनियम 1974 एवं नियम 1976 के तहत कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय में पेश करनी होगी हैं। यह प्रार्थना–पत्र इस कार्यालय का क्षेत्राधिकार का नहीं होने से तथा इस प्रार्थना–पत्र में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होने से प्रार्थी का यह आवेदन–पत्र खारिज योग्य हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो। (अरूण कुमार पुरोहित) **जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट,** **नागौर**	